

तीन तलाक और महिला सशक्तिकरण

डॉ० शिवाली अग्रवाल

एसो० प्रोफे०, राजनीति विज्ञान विभाग, इस्माईल नेशनल महिला पीजी कालिज, मेरठ

सारांश

शाहबानो मामले (1985-86 के दरम्यान) ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया था। राजीव गाँधी की कांग्रेस सरकार ने राजनीति में उल्टा पाठ पढ़ते हुये 'मजहब के कायदों' या शरिया के सामने घुटने टेक दिये थे। राजनीति पर साम्प्रदायिकता हावी हो गयी थी। अब एक नया मामला देश के सामने भारतीय राजनीति और मुस्लिम मजहब में हलचल मचा रही है। उत्तराखण्ड की शायराबानो ने अदालत में एक बार में तीन तलाक के खिलाफ याचिका दायर की—मुस्लिम समाज की सोच पर एक सवालिया निशान लगा और कुरान और हदीस के जानकार तर्कों और वितर्कों के साथ राष्ट्रीय पटल पर आ गये। ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शायराबानो के खिलाफ अपील की थी परन्तु समाज के लोगों ने बुलन्द आवाज में पूछा कि 1973 में गठित बोर्ड के बनने के दो मकसद गिनाये गये थे क्या यह उन पर बकायदा चल रहा है या यह सिर्फ हदीस कुरान के मान बेमाने हवाले देकर हम मजहबियों पर अपने फरमान थोपने की कोशिश कर रहा है?

महत्वपूर्ण शब्द: तीन तलाक, भारतीय राजनीति, मुस्लिम समाज, सर्वोच्च न्यायालय, मुस्लिम महिलाओं

शोधपत्र का संक्षिप्त
विवरण इस प्रकार है:

**डॉ० शिवाली
अग्रवाल**, “तीन तलाक
और महिला
सशक्तिकरण”, RJPP
2017, Vol. 15, No.2,
pp. 91-98
[http://anubooks.com/
?page_id=2004](http://anubooks.com/?page_id=2004)
Article No. 13(RP562)

प्रस्तावना

शाहबानो मामले (1985-86 के दरम्यान) ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया था। राजीव गाँधी की कांग्रेस सरकार ने राजनीति में उल्टा पाठ पढ़ते हुये 'मजहब के कायदों' या शरिया के सामने घुटने टेक दिये थे। राजनीति पर साम्प्रदायिकता हावी हो गयी थी। अब एक नया मामला देश के सामने भारतीय राजनीति और मुस्लिम मजहब में हलचल मचा रही है। उत्तराखण्ड की शायराबानो ने अदालत में एक बार में तीन तलाक के खिलाफ याचिका दायर की—मुस्लिम समाज की सोच पर एक सवालिया निशान लगा और कुरान और हदीस के जानकार तर्कों और वितर्कों के साथ राष्ट्रीय पटल पर आ गये। ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शायराबानो के खिलाफ अपील की थी परन्तु समाज के लोगों ने बुलन्द आवाज में पूछा कि 1973 में गठित बोर्ड के बनने के दो मकसद गिनाये गये थे क्या यह उन पर बकायदा चल रहा है या यह सिर्फ हदीस कुरान के मान बेमाने हवाले देकर हम मजहबियों पर अपने फरमान थोपने की कोशिश कर रहा है?

ऐसी परिस्थिति में यकीनन पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के मन में चंद सवाल घुमड़ते हैं कि क्यों तलाक—तलाक बोल देने भर से तलाक हो जाना चाहिए। मर्द को चार बीबियां रखने की छूट है। सारे दबाव, हुक्मो फरमान, पर्दा हिजाव, हलाला जैसी इजायते मुस्लिम महिला को ही पाबन्द करती है क्यों? क्या मुस्लिम समाज के महिलाओं को बराबरी का हक नहीं? शायरा ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके तीन तलाक की कानूनी वैधता पर निशान लगा दिया इसके जरिये मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अनु 2 की संवैधानिकता पर सवाल किया है जिसके जरिये शरीयत इन सभी दकियानूसी परम्पराओं को जायज ठहराती है याचिका में मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के बेमानी होने की बात कही गयी है।¹

29 फरवरी 2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने गम्भीरता दिखाते हुये उस पर विचार करने, सुनवाई करने का फैसला किया तो मजहब के चन्द ठेकेदारों की सिट्टी—पिट्टी गुम हो गई। मुस्लिम महिलायें भी खुलकर शायरा के पक्ष में आ गयी और पूरे भारत में तीन तलाक पर एक बहस छिड़ गयी। मौलान आजाद शिया प्रतिष्ठान की कोषाध्यक्ष डा० नाहिद जफर शेख, ऑल इण्डिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की संस्थापक और अध्यक्ष शायना अबंर, शायरा के साथ खड़ी दिखती है। राष्ट्रीय महिलाओं का सर्वे किया तो चौकाने वाले तथ्य सामने आये हैं। सर्वे के मुताबिक 88.3 प्रतिशत औरतें चाहती हैं कि तलाक—ए अहसान तलाक का कानूनन तरीका हो, 90 दिनों की प्रक्रिया हो।²

ऐसे कई मुस्लिम देश हैं जहाँ तीन तलाक और हलाला को लेकर जो सोच है उसे नकारा जा चुका है। ये देश हैं—इराक, कुवैत, मिस्त्र, सूडान, जार्डन, यू० ई और यमन परन्तु भारत के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी इस पर एकमत नहीं है। इस्लाम में महिला के पारिवारिक और सामाजिक अधिकारों, आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का विशेष ध्यान रखा गया है। परन्तु एक बैठक में तीन तलाक जिसे 'तलाके मुग्लेजा' या 'तलाके बिदअत' कहा गया है, के दुष्परिणामों के कारण ही मुस्लिम महिलायें सबसे ज्यादा शोषण का शिकार हो रही हैं। तलाके—ए—निदअत को ये

झगड़ा 1400 साल पुराना है। जबकि भारत में इसकी नींव 1765 में पड़ी।

एक तथ्य यह भी है कि मुसलमानों में शिया और अहले हदीस मसलक (विचारधारा) में एक बैठक में तीन तलाक मान्य नहीं। हनफी फिरके के मानने वालों (संख्या में सर्वाधिक) में तीन तलाक प्रचलित है गैर-कुरआनी होने के बावजूद के इसका इस्तेमाल बहुत अधिक करते हैं और कमाल की बात है के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ इसका कोई विरोध नहीं करता।

मौलाना अशरफ अली थानवी द्वारा लिखी शरीयत के अनुसार शादी और तलाक के निम्न नियम हैं—

कब तोड़ी जा सकती है शादी—जब मियां बीबी ये समझते हैं कि इख्तिलाफत (मतभेद) झगड़े इतने हो गए हैं कि साथ-साथ रहना नामुमकिन है। तो उन्हें अलग होने की छूट है। लेकिन उससे पहले उन्हें अपने खानदान को इस मतभेद को बताना होगा। मियां बीबी दोनों को खानदान से एक-एक हकम (पंच) चुने जाए। पंच उसे चुना जाए जो हमदर्द हो और खैरखाह हो जिनका असल मकसद झगड़े होने को खत्म करना हो फिर जब बात नहीं बने तो अलग होने का रास्ता साफ हो जाता है।

शादी खत्म करने का क्या तरीके हैं—इस्लाम में शादी खत्म करने के चार तरीके हैं। तलाक तफवीज़ ए तलाक खुलअ और फस्ख-ए-निकाह शादी तोड़ने के लिए तलाक का अधिकार मर्दों को है। तो इसी तरह शादी को खत्म करने के लिए तफवीज़ ए तलाक खुलअ और फस्ख-ए-निकाह का अधिकार औरतों को है।

तफवीज़-ए-तलाक—मियां-बीबी के जुदा होने का ये एक तरीका है। इस तरीके के अहम शादी तोड़ने का अधिकार औरत को है। इसमें मर्द तलाक देने का अपना अधिकार बीबी के सुपुर्द कर देता है। लेकिन

फस्ख-ए-निकाह—इसके लिए औरतों को इस्लामी अदालत या मुस्लिम काजी की मदद लेनी होगी। इस तरीके से औरत का काजी के सामने निकाह की मुनासिब वजह साबित करनी होगी जैसे मर्द-नामर्द है। खाना खर्चा नहीं देता, बुरा-बर्ताव करता है, शौहर लापता है, पागल हो गया है आदि, काजी मामले की पड़ताल करेगा और यदि काजी को लगता है कि वजह सही है, तो वो औरत का निकाह खत्म कर देगा।

तलाक—तलाक का अधिकार मर्द का है। और सारा झगड़ा इसी को लेकर है। हालांकि तलाक होने का तरीका बहुत ही साफ है। तलाक के तीन स्टेज हैं। तलाक-ए-रजई, तलाक-ए-बाइन, तलाक-ए-मुगल्लजा।

तलाक-ए-रजई—ये तलाक का पहला स्टेज है। इस्लाम का हुक्म है कि अगर कोई मर्द अपनी अपनी बीबी को छोड़ना चाहता है। तो पहले को एक तलाक है ये तलाक भी माहवारी में हो उसके खत्म होने पर इंतजार करें, पहला तलाक देने इसमें एक पेय है। ये तभी मुमकिन है। जब मर्द ने औरत को ये अधिकार दिए हो, मर्द कभी भी ये एक औरत को दे सकता है। निकाह के वक्त या निकाह के बाद में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे में निकाह के वक्त कॉन्ट्रैक्ट कागज पर दर्ज किया जाता है।

खुलअ-शादी तोड़ने का ये भी एक तरीका है और इसका भी हक महिलाओं को है। अगर औरत को लगता है कि वो शादीशुदा की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा है तो वह शादी तोड़ सकती है या मर्द के साथ उसका निबाह नहीं हो सकता है, तो वो अलग होने का फैसला कर सकती है। इसके लिए औरत की मेहर (निकाह के वक्त शौहर की तरफ से दी गयी रकम) वापस देनी होगी और उसके बदले मर्द उसे तलाक दे देगा। यहां भी एक पेंच है। अगर मर्द राजी नहीं हुआ हो खुलअ नहीं हो सकता। अगर सुलह की मदद से औरत शादी तोड़ने में नाकाम रह जाती है। तो फस्ख-ए-निकाह का रास्ता अख्तियार कर सकती है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील एजाज मकबूल तर्क देते हैं कि मौहम्मदीय कानून पवित्र कुरान और अल हदीस की व्याख्या के अनुसार ही उसे इंसानों द्वारा चलाई जाने वाली अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्याय करने बैठे काफिरों को खुदाई कानून में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। हनीफ मुराद के अनुसार अलहदीस की व्याख्या में पैगम्बर ने मौखिक तीन तलाक को नकारा है। हालांकि यह एक पूर्व-इस्लामिक काल की प्रथा है।⁴

दुनिया के सुन्नी मुसलमानों के चार स्कूल ऑफ थॉट है और ये चारों स्कूल तलाक-ए-बिदुअत पर अमल करते हैं। भारत में सबसे बड़े स्कूल ऑफ थॉट हनफी स्कूल का केन्द्र है।⁵

आलिया साबरी और तीन तलाक-आलिया साबरी का निकाह साल 2012 में उत्तराखण्ड के हरिद्वार के गाँव जशोदापुर निवासी वाजिद अली के साथ हुआ था। दो बेटियाँ होने के बाद नवम्बर 15 को उसे विषाक्त पदार्थ खिलाकर मारने का प्रयास हुआ। साल 2016 में शौहर वाजिद ने कागज पर तीन बार तलाक लिखकर मायके भेज दिया। आलिया के मुताबिक दारूल उलूम ने उसके पक्ष तक जानने की जरूरत नहीं समझी और कागज पा लिखकर भेजे गये तलाक को मंजूरी दे दी। आलिया ने 8 जनवरी 17 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुये बाल कल्याण एवं विकास मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय और अल्पसंख्यक मंत्रालय के सचिवों, दारूल उलूम देवबन्द व उनके शौहर को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के आदेश देते हुये 30 मार्च को सुनवाई का आदेश दिया।⁶

आलिया के इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी से भी तलाक की प्रथा को खत्म करने की अपील की साथ ही फतवों पर अंकुश लगाने की अपील की।

तीन तलाक और सुप्रीम कोर्ट- तीन तलाक के मामले को संविधान पीठ को सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है कि यह बहुत गंभीर मामला इसे टाला नहीं जा सकता। इतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि संविधान पीठ इस प्रकरण की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर करने और कोर्ट में गर्मियों के अवकाश के दौरान भी बैठने के लिए तैयार है। तीन तलाक का मामला संविधान पीठ के पास जाने के बाद मुस्लिम समाज के उस तबके को इस मामले में और किसी को दखल देने की जरूरत नहीं। आम तौर पर यह वह तबका है जो अपने धर्मगुरुओं के प्रभाव में अधिक है। तीन तलाक को जायज मानने और उसकी कानूनी समीक्षा का विरोध करने वालों को यह समझना होगा कि समय के साथ सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं में तब्दीली आती है और जा समाज बदलाव के खिलाफ खड़ा होता है वह तरक्की की मामले की

गंभीरता का आभास हो जाए तो बेहतर जो यह प्रकट करने में लगा हुआ है कि हमारे समाज की महिलाओं के दौड़ में पीछे छूट जाता है। यह ठीक है कि मुस्लिम समाज में विवाह एक अनुबंध की तरह होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसे तोड़ने यानी तलाक देने मनमाना अधिकार पुरुषों को मिला हुआ है। तीन तलाक के जरिये मुस्लिम महिलाओं के प्रति जैसा बुरा बर्ताव हो रहा है वह मानवीय गरिमा और साथ ही सम्य समाज के खिलाफ है। यह समझना कठिन है कि मुस्लिम धर्मगुरु इस सच्चाई से क्यों मुंह मोड़ रहे हैं कि तीन तलाक का शिकार महिलाएं बदहाली का शिकार हो रही हैं? आखिर एक बार में तीन तलाक बोलकर किसी महिला को सदैव के लिए असहाय छोड़ देने को सही बताने वाले अपने समाज के हितैषी या फिर मार्गदर्शक कैसे हो सकते हैं?

तीन तलाक के बारे में यह दलील जितनी हास्यास्पद है उतनी ही बेतुकी भी कि यह प्रथा है तो गलत, लेकिन उसे बदला नहीं जा सकता। न बदलने के पीछे यह थोथी दलील दी जा रही है कि यह शरिया कानून के हिसाब से है। यह निरा झुठ है, क्योंकि कुरान में तीन तलाक को सबसे खराब बताया गया है और इसी कारण करीब दो दर्जन देशों में उसे प्रतिबंधित किया जा चुका है। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि शरिया कानून की मनमानी व्याख्या सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि मुस्लिम पतियों को मनमाने तरीके से तलाक देने में आसानी है? मानमाने तरीके से तलाक देने की प्रथा जारी रहना महिलाओं की अनदेखी और उपेक्षा के अलावा और कुछ नहीं। यह सही समय है कि मुस्लिम युवा उन मौलानाओं और मौलवियों के खिलाफ खड़े हों जा तरह-तरह के झुठ के सहारे तीन तलाक की हिमायत करने में लग हुए हैं। सच तो यह है कि यह जिम्मेदारी हर समाज के युवाओं की है। महिलाओं का अनादर करने और उन्हें दोगम दर्जे का नागरिक समझने वाला कोई भी समाज कभी आगे नहीं बढ़ आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा हो कि मुस्लिम समुदाय के साथ अन्य समुदायों के लोग भी यह देखें कि उनकी महिलाओं को घर के साथ-साथ बाहर भी समुचित आदर-सम्मान और स्वतंत्रता कैसे मिले?

तीन तलाक और भाजपा- भाजपा ने तीन तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठा दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस मामले में मुस्लिम महिलाओं को आश्वासन दे चुके हैं। देवबन्द से भाजपा विधायक ने खुलकर आलिया का साथ देने का एलान कर दिया।⁹ प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सामाजिक बुराई बताते हुये कहा है कि ये एक धर्म से जुड़ा मुद्दा न होकर एक सामाजिक कुरीति है। उन्होंने तीन तलाक सहित अन्य मुद्दों पर मुसलमानों से सीधा संवाद करने की सलाह दी।⁹

तीन तलाक पीड़िता परवीन मुख्मन्त्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ मांगने की तैयारी कर रही है। कोतवाली क्षेत्र निवासी परवीन का आरोप है कि बुधवार को पति दाउद ने उसे तीन बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया था। पति के कहीं और संबंध हैं, जिस वजह से उसे तलाक देकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। परवीन अपनी बुआ और बहन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाने की बात कह रही है। कहा कि वह सीएम से मिलकर बताएगी कि तीन तलाक पर उनकी सोच पूरी तरह सही है, जहां पाँच मिनट में किसी

औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है, योगी सरकार ऐसे लोगों को कड़ी सजा दिलाए। परवीन की बहन शबाना ने भी कहा कि योगी सरकार तीन तलाक को लेकर जो कर रही है, सही कर रही है। हम उनके साथ हैं। इस तरह तीन तलाक देना इस्लाम के खिलाफ है। परवीन की बुआ मुसरत ने भी समर्थन करते कहा कि इस तरह तलाक नाजायज है। वह योगी सरकार के साथ मिलकर ऐसे 5 मिनट में तलाक देने वाले के खिलाफ कार्यवाही में साथ देने को तैयार है। आज तक किसी ने इस मुद्दे पर बात नहीं की लेकिन योगी सरकार ने ये मुद्दा उठाया है, जिसका हम सम्मान करते हैं।¹⁰

तीन तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के मुखर होना बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रूख भी लचीला हुआ है। बोर्ड ने साफ कहा है कि बिना किसी कारण के तीन तलाक देने वालों हुक्का-पानी बंद कर सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। लखनऊ के नदवा कॉलेज में बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक के दुसरे दिन यह फैसला किया गया।¹¹

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन तलाक को देश की ज्वलंत समस्या बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर मौन रहने वाले राजनेता और राजनीतिक दल भी अपराध में भागीदार हैं। योगी ने कहा, 'देश में इस ज्वलंत मुद्दे पर एक नई बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इस मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे लोग मुझे महाभारत के उस दृश्य की याद दिलाते हैं जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वह सभा में हर किसी से पूछ रही थी इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। सिर्फ विदुर ने ही जवाब दिया था कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वे तो अपराधी हैं ही, सहयोगी और मौन रहने वाले भी इसके लिए उत्तरे ही जिम्मेदार हैं। इसी तरह से तीन तलाक को लेकर जो राजनेता मौन हैं, वे भी अपराध में भागीदार हैं।'¹²

तीन तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व मण्डल ने महिला कल्याण रीता बहुगुणा जोशी से मुलाकात की डिमाण्ड की और सख्त कानून की मांग की ताकि मर्द तलाक से पहले सौ बार सोचे। मुस्लिम महिला पर्सनल बोर्ड की शाइस्ता व बैगम रॉयल फैमिली अवध की सदस्य व पीड़ित महिलाओं में मंत्री ने कहा कि भारतीय कानून की तहत उन्हें भी वह अधिकार मिलने चाहिए जो हिन्दू महिलाओं को हैं। जीवन यापन पर नई सरकार को कुछ करना चाहिए क्योंकि नई सरकार का यह नारा है कि ("सबका साथ सबका विकास") तथा प्रतिनिधित्व मण्डल ने मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है। जिस पर मंत्री ने उन्हें अशवासन दिया है। तीन तलाक महिलाओं को न्याय आवश्यक मिलेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन तलाक को देश के ज्वलंत समस्या बताते हुए कहा इस मुद्दे पर मौन रहने वाले को राजनेता और राजनीतिक दल भी अपराध में भागीदारी हैं। योगी जी ने कहा देश में इस ज्वलंत मुद्दे पर एक नयी बहस छिड़ी है। कुछ लोग इस मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे लोग मुझे महाभारत दृश्य की याद दिलाते हैं। जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। वह सभा में सभी से इस घटना के बारे में पूछ रही हैं। इसका सिर्फ विदुर ने जवाब दिया था कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, वही अपराधी है। इसे लेकर योगी ने कहा जो लोग राजनीतिज्ञ मौन धारण किए हुए हैं। वह अपराधी हैं। योगी के ब्यान पर तीखी प्रक्रिया होते हुए

All India Muslim Board के महासचिव मौलाना बली रहमान ने कहा इस जहिलाना विचार पर क्या प्रतिक्रिया दूं। वह तलाक को द्रौपदी के चीरहरण के जैसा बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। मानसिकता से स्वस्थ व्यक्ति कोई भी ऐसा नहीं करेगा। वह इन दोनों को अलग-अलग चश्मे से देखते हैं।¹⁴ दूसरी ओर तीन तलाक के मुद्दे को सामाजिक बुराई बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मुस्लिम बहनों पर अन्याय नहीं होना चाहिए। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने भाषण में कहा इस मुद्दे को लेकर हम मुस्लिम समुदाय के बीच कोई टकराव नहीं चाहते हैं। इस कुरीति को लेकर समाज को जागरूक कर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना है।¹⁵

आफरीन रहमान, जयपुर की आफरीन के पति ने स्पीड पोस्ट के जरिये तलाक भेजा था। इशरत जहाँ, पश्चिम बंगाल की इशरत को उसके पति ने दुबई से फोन पर तलाक दे दिया। उसके पति ने चारों बच्चों को भी इससे छीन लिया। आलिया साबरी, उत्तर प्रदेश की आलिया ने 2016 में तीन तलाक लिखकर रिश्ता तोड़ा। उ० प्र० की गुलशन परवीन के पति ने नोएडा से स्टाम्प पेपर पर तलाकनामा भेजा था। इन सबने प्रतिवादी बनाया ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जीमयत-ए-उलमा हिन्द, भारत सरकार को।¹⁶

तीन तलाक के मुद्दे पर याचिका करने वाली शायरबानों के अतिरिक्त खटीकान निवासी (मेरठ), रिजवाना को भी कागज पर लिखकर तीन तलाक मिला।¹⁷ योगी जी से मेरठ की परवीन ने गुहार लगाई।¹⁸ दारूल उलूम के मौलाना मुफती अबुल कासिम नोमानी ने तीन तलाक के मुद्दे पर इस्लाम धर्म को बदनाम करने की साजिश बताया।¹⁹ जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने बताया कि कुरान और हदीस में तलाक के नियमों के अनुसार तलाक ठीक है पर जो तरीका वर्तमान में अपनाया जा रहा है वो गलत है। हुकुमत को तलाक पर बोलना गलत है क्योंकि ये धर्म का मामला है।²⁰ दारूल ने भी प्रधानमंत्री मोदी के ब्यान जिसमें उन्होंने कहा कि तीन तलाक के संकट से गुजर रही मुस्लिम महिलाओं को इन्साफ मिलना चाहिये की निन्दा की है कि तीन तलाक शरीयत से जुड़ा मामला है। इसका हल भी शरीयत के आधार पर ही निकाला जायेगा।

न्यायालय का रूख तीन तलाक के मुद्दे पर—इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कोई पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में ही लागू हो सकता है।²¹ पर्सनल लॉ के नाम पर मुस्लिम महिलायें हो या कोई व्यक्ति, उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कोई भी पर्सनल लॉ संविधान के ऊपर नहीं है। कोर्ट ने कहा तीन तलाक असंवैधानिक है।²²

सुप्रीम बोर्ड ने तीन तलाक की प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि बहुविवाह, निकाह और हलाला पर विचार नहीं किया जायेगा बल्कि सिर्फ तीन तलाक की संवैधानिक वैधता को परखा जायेगा।²³

शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि तीन तलाक धर्म का बुनियादी तत्व है तो वह इसकी संवैधानिक वैधता के सवाल पर विचार नहीं करेगा। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय संविधान पीठ तीन तलाक पर दयार मात

याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की गयी है। इस पीठ में सिक्ख, ईसाई, पारसी, हिन्दू और मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जज शामिल हैं।

इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका तीन तलाक का मुद्दा न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वरन् मुस्लिम समाज की कट्टरपन्थी सोच पर कुठाराघात है। वास्तव में भारत में जब तक एक कानून एक समाधान नहीं होगा तब तक पर्सनल लॉ के नाम पर मानवाधिकारों का इसी प्रकार उल्लंघन चलता रहेगा?

संदर्भ सूची

- (1) पाञ्चन्य-1 मई 2016
- (2) तदैव
- (3) मुकम्मल असली बहान्ती जेवर, हिस्सा चौथा, बिसरा-तलाक का बचाना, मौलाना अशरफ अली थानवी
- (4) दी टाइम्स ऑफ इण्डिया, 16 अगस्त 2013
- (5) अब्दुल वाहिद, सीनियर प्रोड्यूसर ABP New Wed 19 Oct. 2016
- (6) दैनिक जागरण, 6 जनवरी 2017
- (7) अमर उजाला, 31.3.2017
- (8) हिन्दुस्तान 19.3.2017
- (9) अमर उजाला, 17.4.2017
- (10) दैनिक जागरण, 13 मार्च 2017
- (11) अमर उजाला, 18 मार्च 2017
- (12) अमर उजाला, 18 मार्च 2017
- (13) अमर उजाला, 5.4.2017
- (14) अमर उजाला, 18.4.2017
- (15) अमर उजाला, 17.4.2017
- (16) अमर उजाला, 12.5.2017
- (17) अमर उजाला, 19.4.2017
- (18) हिन्दुस्तान, 19.4.2017
- (19) हिन्दुस्तान, 4.5.2017
- (20) हिन्दुस्तान, 8.5.2017
- (21) हिन्दुस्तान, 8.5.2017
- (22) हिन्दुस्तान, 4.5.2017
- (23) हिन्दुस्तान, 12.5.2017